GCMS संख्या 2022 / 159
प्रकरण संख्या 98 / 22
श्री किशनसिंह बनाम पेमा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022 / 159

प्रकरण संख्या 98 / 22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

1. श्री किशनसिंह पिता उदयसिंह जाति राजपुत निवासी जमुनाखेड़ा, कुण्डई, भीण्डर उदयपुर।
2. श्री भेरूसिंह पिता उदयसिंह जाति राजपुत निवासी जमुनाखेड़ा, कुण्डई भीण्डर, उदयपुर।

..................प्राथी

बनाम

1. श्री पेमा पुत्र खेता जाति डांगी निवासी भुणातलाब वाणियातलाई, भीण्डर, उदयपुर।
2. श्री प्रथा पुत्र खेता जाति डांगी निवासी भुणातलाब वाणियातलाई, भीण्डर, उदयपुर।
3. श्री भगवान पुत्र अमरा जाति डांगी निवासी भुणातलाब वाणियातलाई, भीण्डर, उदयपुर।
4. श्री रता पुत्र दौला जाति डांगी निवासी भुणातलाब वाणियातलाई, भीण्डर, उदयपुर।
5. श्री लखमा पुत्र खेमा जाति डांगी निवासी भुणातलाब वाणियातलाई, भीण्डर, उदयपुर।
6. श्रीमती लहर कुंवर पत्नी भेरू सिंह जाति राजपुत निवासी जमुनाखेड़ा, कुण्डई भीण्डर, उदयपुर।
7. श्री दला पुत्र मेघा जाति डांगी निवासी भुणातलाब वाणियातलाई, भीण्डर, उदयपुर।
8. श्री धर्मा पुत्र मेघा जाति डांगी निवासी भुणातलाब वाणियातलाई, भीण्डर, उदयपुर ।
9. श्री मांगिया पुत्र नंगा जाति डांगी निवासी भुणातलाब वाणियातलाई, भीण्डर, उदयपुर।
10. श्री रामा पुत्र नंगा जाति डांगी निवासी भुणातलाब वाणियातलाई, भीण्डर, उदयपुर।
11. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर जिला उदयपुर (राज.)।

.............अप्रार्थीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर जिला-उदयपुर (राज.)

अधिवक्ता प्रार्थी : श्री फारूक मौहम्मद।

निर्णय

दिनांक : 01.06.2022

1. प्रार्थीगण श्री किशनसिंह, भेरूसिंह पिता उदयसिंह जाति राजपुत द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गांव कुण्डई, पटवार हल्का कुण्डई, भू–अभिलेख निरीक्षक वृत कुण्डई, तहसील भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 27 के आराजी संख्या 1985, रकबा 0.1800 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 1989 रकबा 0.2000 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल भूमि 0.[illegible] [illegible]यर भूमि स्थित होकर प्रार्थीगण के नाम दर्ज है एवं उक्त भूमि के प्रार्थीगण [illegible] काश्त होकर स्वामी, अधिकारी एवं आधिपत्यधारी है तथा उक्त भूमि [illegible] नक्शे में तरमीम है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:41:36 IST
Reason: SelfAttested

2. उक्त वर्णित भूमि प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1985 के पड़ौस में विपक्षी संख्या 1 से 6 की भूमि आ गई तथा आराजी संख्या 1989 के पडौस में विपक्षी संख्या 7 से 10 की भूमियां आ गई है और प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से पक्षकारों में आये दिन सीमा को लेकर विपक्षीगण विवाद करते है तथा प्रार्थीगण के खातेदारी उपयोग उपभोग की उक्त भूमि में बनाई गई बाड को हटाने की धमकियां देते

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर जिला-उदयपुर (राज.)

हुए विपक्षीगण द्वारा मौके पर विवाद पैदा किया जा रहा है तथा प्रार्थीगण की भूमि में जबरन दखलादांजी करते है जिससे प्रार्थीगण ने अपनी उक्त भूमि की दिनांक 19.05.2022 को पत्थरगढी कराने के लिये विपक्षीगणों से कहा तो विपक्षीगणों ने सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही कराने के लिये कहा जिससे प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करने पर विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त वर्णित भूमि की प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में पक्की पत्थरगढी तहसीलदार के मार्फत कराई जावे एवं मौके पर पत्थर गडवाये जाने का आदेश पारित फरमाया जावे।

3. हमने पत्रावली को दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया जिसमें अप्रार्थीगण 1 से 10 बाद तामिल न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये एवं न्यायालय द्वारा बार–बार आवाजे देने के बाद भी उपस्थित नहीं हुये। अतः अप्रार्थीगण 1 से 10 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गई एक पक्षीय बहस सूनी गई एवं उस पर मनन किया गया जिसमें मौजा गांव कुण्डई, पटवार हल्का कुण्डई, भू–अभिलेख निरीक्षक वृत कुण्डई, तहसील भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 27 के आराजी संख्या 1985, रकबा 0.1800 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 1989 रकबा 0.2000 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल भूमि 0.3800 हैक्टेयर भूमि स्थित होकर प्रार्थीगण के नाम दर्ज है जिसकी पत्थर गढी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भीण्डर को 1000 रूपयें पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिए जाते है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि मौजा गांव कुण्डई, पटवार हल्का कुण्डई, भू–अभिलेख निरीक्षक वृत कुण्डई, तहसील भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 27 के आराजी संख्या 1985, रकबा 0.1800 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 1989 रकबा 0.2000 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल भूमि 0.3800 हैक्टेयर भूमि स्थित होकर प्रार्थीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज है जिसकी पत्थरगढी प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में की जाने के आदेश दिये जाते है।

6. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:41:36 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाड़िया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर जिला–उदयपुर(राज.)